आदेशिका

न्यायालय :– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02, नागौर

दीवानी वाद संख्या 05/2015, 08/2015

संतोष बनाम केसरीमल

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

तारीख		आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
27.11.21	अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी सुनी गई। दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत है। पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से हस्तगत प्रकरण के विवाद से संबंधित दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 171/2012 की तफ्तीश रिपोर्ट की फोटोप्रति पेश की हुई है। इसके अलावा गेनाराम की अदम फौलादी में रिपोर्ट व संबंधित कॉल रिकॉर्डिंग की फोटोप्रति, मुलजिम गेनाराम के दुराचरण रिपोर्ट की फोटो प्रति पूर्व में पेश हो रखी है लेकिन इनकी प्रमाणित प्रतियां अब प्राप्त की गई है जो हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के न्याय निर्णय हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण व सुसंगत है। अतः उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जावे। अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र तथा बहस प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अनुसंधान अधिकारी राकेश पूरी के पश्चात अन्य अधिकारियों ने राकेश पूरी द्वारा दिये गये नतीजे को अनुचित बताते हुए बाद में विपरीत नतीजा पेश किया तथा कॉल रिकॉर्डिंग धारा 65ए के प्रमाण पत्र के अभाव में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उक्त दस्तावेज पूर्व से ही अधिवक्ता वादी के पास मौजूद थे। देरी से प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारी कॉस्ट पर खारिज फरमाया जावे। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि वादीनी संतोष पत्नी गेनाराम द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध विक्रय विलेख को निरस्त करने बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या	

27.11.21

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 2, नागौर (राज०)

2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 171/2012 का भी वर्णन किया हुआ है। यद्यपि अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात देरी से प्रस्तुत किये गये हैं परंतु उक्त दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण से संबंधित तथा सुसंगत होने से कॉस्ट पर रिकॉर्ड पर लिये जाने योग्य है।

अतः अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी 300 रुपये कॉस्ट पर स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 6.12.25 को पेश हो।

27.11.25

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 2, नागौर (राज०)